रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1836] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2014/भाद्र 21, 1936
No. 1836] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2014/BHADRA 21, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2014

का.आ. 2335(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2825(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 23 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,–

(क) जिला ''रायगढ़'' तहसील ''सारंगढ़'' से संबंधित अंतिम कॉलम में गांव का नाम प्रविष्टि (46) दगनिया के पश्चात् (47) मानिकपुर, (48) विश्वासपुर, (49) छुवारीपाली, (50) कुधारगड़ी, एवं (51) पथरीपाली का प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,

(ख) जिला ''जांजगीर–चाम्पा'' तहसील ''डभरा/सक्ती'' से संबंधित अंतिम कॉलम में गांव का नाम प्रविष्टि (4) चन्द्रपुर के पश्चात् (5) कलमा एवं (6) महादेवपाली का प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37014/15/2010-/एन एच डीपी-IVए]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का. आ. 2825(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2014

S.O. 2335(E).—In exercise of power conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act,1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Higwhays No. S.O. 2825(E), dated the 23rd November, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 23rd November, 2010, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) against column No. 2 relating to District "Raigarh" Taluk "Sarangarh" in the last column name of village, after entry "(46) Dagniya" the entries shall be inserted namely "(47) Manikpur", "(48) Vishvaspur", "(49) Chhuwaripali", "(50) Kudhargadi", and "(51) Patharipali" .

(b) against column No. 2 relating to District "Janjgir-Champa" Taluk " Dabhara/ Sakati" in the last column name of village, after entry "(4) Chandrapur" the entries shall be inserted namely "(5) Kalma", and "(6) Mahadeopali".

[F. No. RW/NH-37014/15/2010-NHDP-IVA]
MAYA PRAKASH, Director

Foot Note : The principal notification was published vide S.O. 2825(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd November, 2010.

.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.